Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, Impact Factor: 5.647, Volume 10, No. 03, July, 2020, pp. 191-198

बाल श्रमिकः अवधारणात्मक परिचय

अनीता ज्याणी*

i:Lrkouk

विकासशील देशों में बालश्रम एक व्यापक व जटिल समस्या है, जिसके कारण बालकों का विकास ही अवरूद्ध नहीं होता है, अपितु सम्बन्धित देश के नागरिक एवं समाज भी पिछड़ा हुआ रह जाता है। भारत में बालश्रम की स्थिति काफी भयावह है। सम्पूर्ण मानव समाज के लिए कलंक बन चुकी यह समस्या अपना विकट रूप धारण कर ही है। बाल–श्रम आज की शताब्दी की देन नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से चला आ रहा है लेकिन वैश्वीकरण के बाद यह अपने और बदतर रूप में सामने आयी है। आज बच्चों की एक बहुत बड़ी श्रम सेना उत्पादन अथवा निम्नस्तरीय सेवाओं, गैर–उत्पादन के विविध व्यवसायों में कार्यरत हैं।

बालश्रम की समस्या वर्तमान संदर्भ में गहनता के साथ–साथ बहुआयामी जटिल समस्या भी है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम आयोग ने बाल एवं युवा श्रमिकों के संरक्षण पर अपने प्रतिवेदन में कहा है कि ''बालश्रम निवारण की समस्या बच्चे के पोषण तथा सभी कार्य योग्य व्यक्तियों के परिवार के समुचित भरण–पोषण हेतु मजदूरी के भुगतान से जुड़ी हुई है। इस समस्या के साथ राष्ट्र विकास में मूल बाधक अशिक्षा, निर्धनता, कुपोषणकारी स्वरूप आदि कई अन्य समस्याएँ प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़ जाती है। ये सभी बालश्रम के अध्ययन को महत्वपूर्ण बना देती है।''

भारत में संविधान में यह बात पूर्व से ही निर्धारित है कि ''बाल मजदूरी'' नहीं होनी चाहिए। आज जहाँ एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी उन्नति के पायदान पर चढ़ती जा रही है वहीं व्यवसायीकरण के इस दौर में बाल मजदूरों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) के सर्वे ने वर्ष 1996 में यह उजागर किया है कि भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बाल मजदूर लगभग 5 करोड़ से ऊपर होंगे और पूरी दुनिया में 24 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे मजदूरी की चपेट में है। दिल्ली में लगभग 20 हजार से ऊपर एवं मुम्बई में 40 हजार से ऊपर बाल श्रमिक है जो दिन–रात हाड तोड मेहनत करते हैं। 80 प्रतिशत बाल मजदूर पुश्तैनी पेशे के रूप में यह व्यवस्था अपना लेते हैं और बाकी छोटी मोटी मजदूरी ढूंढ लेते हैं। करीब 4 से 5 लाख बच्चे बाल मजदूरी में अपनी मर्जी से स्वीकार कर लेते हैं जैसे घरों में मेड के रूप में, होटल ढांबों में कप प्लेट धोने से लेकर आर्डर लेने वाले छोटू के रूप में चाय की दुकान पर गरफ प्याले पहुँचाते, भागते बुघना के रूप में ऐसे हजारों लाखों चेहरे अपनी बेबसी की परिचय देते रहते हैं। ऐसे उद्योग जो गम्भीर बीमारियों को उपहार स्वरूप देते हैं वहाँ भी बाल श्रमिकों की एक बड़ी संख्या कार्यरत है। ये उद्योग हैं कालीन, खदान, काँच, आतिशबाजी, डिटरजेन्ट, हाथ करघा, बीड़ी, रत्नों की पॉलिश, चप्पल, उद्योग आदि। इन सबके अलावा घरेलु काम एवं कूड़ा बीनने जैसे काम भी बाल श्रमिकों के सहारे चल रहे हैं। श्रम शोषण का दृश्य तो तब चलायमान हो जाता है जब हम देखते हैं कि बाल मजदूरों के रहने का ठिकाना भी काम करने की ही जगह होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें खाना बनाने से लेकर खाने एवं सोने की व्यवस्था भी कार्य स्थल पर ही करनी पड़ती है। शिक्षा से मरहूम ये बच्चे सातों दिन काम करने के लिए विवश होते हैं। साप्ताहिक छुट्टी नहीं पाने वाले ये बाल

* सहायक आचार्या, समाजशास्त्र विभाग, सेठ आर.एल. सहरिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर, राजस्थान।

श्रमिक बंधुआ मजदूर की भांति जीवन गुजर–बसर करते हैं एवं संघर्ष करते हैं। ये बाल श्रमिक असुरक्षित बचपन के साये में जीने को बाध्य होते हैं। ऐसे ही तमाम अवैध पेशों में अपनी हिस्सेदारी की मजबूरी इन्हें धूल से भरे कमरों, खतरनाक रसायनों, धूलकरण एवं अन्य हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों के साथ काम करने को इन्हें विवश करती है। पूरे संसार में 12 जून ''अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोध दिवस'' के रूप में मनाया जाता है। फिर भी बाल मजदूरी बदस्तूर जारी है और तो और इस तस्वीर का एक दुखद पहलू यह है कि विश्व भर में भारत में सर्वाधिक बाल श्रमिक है। बाल श्रम आजादी से पहले से ही किसी न किसी रूप में गैर कानूनी घोषित कर दिया था इसलिए भारत में वास्तव में बाल श्रम कितना है इसका आंकलन तो कठिन है ही किन्तु यह तो निश्चित ही है कि दुनिया के 40 करोड बाल श्रमिकों में से सबसे अधिक भारत में ही है।

cky Jfed

बाल मजदूर शब्द का प्रयोग प्रायः ''कामकाजी बच्चों'' या ''नौकरीशुदा बच्चों'' के लिए होता हैं ये सभी पारिभाषिक शब्द काम करने वाले व्यक्ति की आयु को ध्यान में रखकर बनाये गये हैं परन्तु कामकाजी और नौकरीशुदा का अर्थ है कि काम करने वाले बच्चों से मजदूरी लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार वह व्यक्ति जो 14 वर्ष के कम आयु का है और पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है, बाल मजदूर कहलायेगा। वेतन के लिए अथवा पारिवारिक इकाई में कार्य करने वाला कोई भी बच्चा जिसे उसके बचपन और शिक्षा से वंचित कर दिया गया है बाल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाता है। मौटे तौर पर वेतन के लिए कार्य करने वाले तथा स्कूल न जाने वाले किसी भी बच्चे को बाल श्रमिक कहा जा सकता है। यहाँ बच्चे की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई है।

बालश्रम को प्राचीनतम व नवीनतम स्थिति के संदर्भ में देखा जाता तो इसे परिभाषित करने की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता। परिस्थितियाँ इनके जन्म के लिए चाहे जैसी रही हो, इस सामाजिक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के विवेचन के पूर्व यह सुनिश्चित करना अवश्य प्रतीत होता है कि बालश्रम क्या है तथा बाल श्रम किसे कहा जाए। बाल श्रम शाब्दिक रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है प्रथम बाल और द्वितीय श्रम। बाल का अर्थ बच्चे की वास्तविक अवश्य एवं श्रम के अर्थ से श्रम की स्थिति, कार्यभार तथा सामर्थ्य है। बालश्रम शब्द का बोध उस बाल जनसंख्या द्वारा किया गया श्रम है जिससे उन्हें अर्थ प्राप्त होता है अथवा अर्थ विमुक्त समाज के रूप में बच्चों का उपयोग होता है जिसके अन्तर्गत उन्हें अर्थ लाभ का अवसर मिलता है अथवा उनके द्वारा किए गए श्रम से उनके अपने परिवार को अर्थ का लाभ मिलता है। यहाँ 5–14 वर्ष के आयु समूह में आने वाले बच्चों द्वारा वेतन के लिए किया जाने वाला कोई भी कार्य जो कि उसे उसके बचपन, शिक्षा व अनेक वांछनीय अवसरों से वंचित कर देता हो, बाल श्रम है।

cky Jfed dh ifjHkk"kk,¡

बाल श्रमिक को किसी सर्वमान्य परिभाषा की परिधि में रखना कठिन कार्य है क्योंकि भिन्न–भिन्न समाजशास्त्रियों, सरकारी संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों, अभिभावकों, कर्मचारियों व आम जनता आदि सभी के द्वारा बाल श्रमिक को अपने–अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। ''बाल श्रमिक में वे बच्चे शामिल है जो अपने स्वास्थ्य और शारीरिक तथा मानसिक विकास को क्षति पहुँचाकर कभी–कभी अपने परिवार से अलग रखने जैसी शर्तों के अधीन कम दैनिक वेतन पर लम्बी अवधि तक कार्य करते हुए स्थायी रूप से वयस्कों का जीवन जीत है जिससे बारम्बार उनसे अर्थपूर्ण शैक्षणिक तथा प्रशैक्षणिक अवसर छीन लिये जाते हैं जो कि उनके बेहतर भविष्य के लिए खुल सकते थे।''

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि–

- प्रारम्भिक आयु की अवस्था में पूर्ण समय कार्य करने वाला।
- लम्बे समय तक परिवार के अन्दर या बाहर कार्य करने वाले बच्चे जो विद्यालय जाने में असमर्थ रहते हैं, जहाँ पर उपलब्ध होता है, लेकिन थकान या समयांभाव के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं। कुछ मामलों में बच्चे 12–16 घण्टे प्रतिदिन कार्य करते हैं।

- वह कार्य जो बच्चे पर अतिरिक्त शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तनाव डालता है जैसे– लैंगिक शोषण और कामोद्दीपक अधिक परिश्रम की दुकानों में कार्य करने, इसी प्रकार सेना सेवा, खनन जैसे खतरनाक कार्यों के मामलों में।
- अवस्थ और खतरनाक स्थितियों में कार्य करना।
- परिवार से बाहर कार्य करने के लिए अपर्याप्त पारिश्रमिक जैसे गलीचा बुनने वाले बाल श्रमिकों को 60 घण्टे काम करने के लिए केवल 3 यू.एस. अमेरिकी डॉलर भुगतान किये जाते हैं।
- बहुत छोटी आयु की अवस्था में अत्यधिक जिम्मेदारियाँ जैसे पारिवारिक स्थितियों में जहाँ 10 वर्ष से कम के बच्चों को छोटे भाईयों और बहनों की देखभाल करनी पड़ती है जो उन्हें विद्यालय में उपस्थित होने से रोकती है।
- वे कार्य जो बच्चे को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की सुविधा नहीं देते है, जैसे–हथरघा उद्योग से जुडे बेकार और पुनः (बार–बार) किये जाने वाले कार्य।
- वे कार्य जो कि बच्चों में आत्म सम्मान पैदा नहीं करें जैसे बंधुआ मजदूरी और वेश्यावृत्ति में और कुछ मामलों में सड़क पर जीवनयापन करने वाले बच्चों में नकारात्मक बोध उत्पन्न करें।''

उपरोक्त परिभाषा के आधार पर स्पष्ट होता है कि ''वेतन के लिए अथवा पारिवारिक इकाई में किया जाना ऐसा कोई भी कार्य जो कि बच्चे के स्वास्थ्य एवं उसके मानसिक विकास में बाधक हो, साथ ही वह बच्चों के संवैधानिक व असंवैधानिक अधिकारों का हनन करता हो, बाल श्रम है।''

,e-,e- jgeku d vulkj ''एक बाल श्रमिक बच्चा वह है जिसकी गणना सर्वेक्षण के दौरान 5–14 वर्ष के बच्चे के रूप में की गई है और जो कि पारिश्रमिक हेतु कार्य करता है जिसे कि भुगतान किया जा सकता है या नहीं भी और जो दिन के किसी भी समय घर में या बाहर व्यस्त रहता है।

बच्चों द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो उनके पूर्ण शारीरिक विकास, उनके आवश्यक मनोरंजन एवं उनके इच्छित न्यूनतम शिक्षा के अवसरों में व्यवधान उत्पन्न करे, बाल श्रम है।

vy[k ukjk;.k 'kekZ d vuqlkj ''बाल श्रम का तात्पर्य बच्चों के उस लाभदायक व्यवसाय में रोजगार से (औद्योगिक और औद्योगिक व्यवसाय) है जो कि उनके शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास को क्षति पहुँचाता है।''

,e-d- flag d vuqlkj ''बाल श्रमिक का अर्थ एक कार्य करने वाले उस बच्चे से है जो छः से पन्द्रह वर्ष के बीच की आयु का है जो दिन में विद्यालय नहीं जा रहा है, जो एक नियोक्ता के अधीन कार्य कर रहा है जो एक शिष्य के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहा है।''

Indian Council of Child welfare ने बाल श्रमिक की निम्न परिभाषा दी है– ''14 वर्ष की आयु से कम अवस्था का वह बच्चा जिसने पारिवारिक आय में योगदान दिया जा जिसे लाभदायक तरीके से रोजगार दिया गया जिनमेकं कम काम करने वालों को शामिल किया गया जिससे एक श्रमिक का व्यवहार किया गया।''

oh-oh- fxjh d vuqlkj ''बाल श्रम एक ओर आर्थिक व्यवहार है तथा दूसरी और एक सामाजिक बुराई भी है। आर्थिक व्यवहार के रूप में यह विवादास्पद है कि केवल वैतनिक कार्यों को ही बाल श्रम के अन्तर्गत लिया जाये या अवैतनिक कार्यों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए क्योंकि बच्चे घर की सफाई, पशुपालन, खेती–बाड़ी के काम आदि सभी में हाथ बंटाते हैं।''

t-lh- dyJ"B d vuqlkj ''श्रम की वह अवस्था जिसमें बच्चों को लाभप्रद व्यवसाय की संवारत अवस्था प्राप्त होती है तथा इस काल में उनके शारीरिक विकास को नुकसान होता है और उनमें विकास के अवसर नकारात्मक होते हैं।''

इसलिए इनके अनुसार ''बाल श्रम'' में तीन शर्तों का होना आवश्यक है यथा–

- बच्चे का लाभप्रद व्यावसायिक युक्त सेवारत होना।
- कार्य की अवस्था का नुकसान युक्त होना।
- उसे उसमें मौलिक विकास का अवसर प्राप्त न होना।

cky etnjh dh fdLe

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन (प्स्व) ने बच्चों के कामों का एक वर्गीकरण किया है जो अनेक देशों में प्रयुक्त होता है। ये श्रेणियाँ निम्नलिखित है :–

- ?kjyw vo|rfud dke %& ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में बच्चे परिवार के अन्दर की देखभाल के लिए बिना वेतन के काम करते हैं। यह स्व–रोजगार है और सामान्यतः ''समय बोधक'' है। इस श्रेणी के अन्तर्गत ये कार्य आते हैं, छोटे भाई–बहनों की देखभाल खाना पकाना, सफाई , कपड़े धोना, पानी भरकर लाना आदि।
- xj&?kjyw vo|rfud dke %& इस तरह का काम प्रायः बच्चे गांवों में करते हैं। इसके अन्तर्गत पशुओं की देखभाल, पशु–पक्षियों से फसल की सुरक्षा निराई करना आदि कार्य शामिल है। यह काम भी ''समय बोधक'' है और अक्सर घरेलू काम भी इससे जुड़े रहते हैं।
- etnjh dk dke %& ग्रामीण और शहरी इलाकों में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में बच्चे मजदूर के रूप में काम करते हैं। वे शिलयकारी उत्पादन लघु उद्योग, उत्पादन, व्यापार में, विनिर्माण और नौकरी पेशों में काम करते हैं। वे भोजनालयों में, कबाड़ी, फेरी वाले व अखबार बेचने के रूप में काम करते हैं। वयस्कों की तुलना में इन कामों के लिए बच्चों को अधिक रखा जाता है क्योंकि कम मजदूरी देकर भी उनमें एक वयस्क के बराबर काम लिया जा सकता है।
- c/kqvk etnj %& बच्चे बंधुओं मजदूरों के रूप में काम करते हैं। वे माता–पिता द्वारा किसी ऋण या उधार के बदले तब तक बंधक रख दिये जाते हैं जब तक कि ब्याज सहित ऋण की वसूली न हो जाये। वे भोजन या बहुत मामूली वेतन के बदले में काम करते हैं। कभी–कभी बच्चे के माता–पिता और मालिक के बीच एक निश्चित समय के लिए काम करवाने का अनुबंध भी होता है। बंधुआ मजदूर तथा ग्रामीण और शहरी दोनों असंगठित क्षेत्रों में प्रचलित है। कानूनी तौर पर बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त किया जा चुका है, फिर भी हमारे देश के कई भागों में यह प्रथा अब भी चल रही है।

बाल श्रमिक शब्द की व्याख्या सामान्य रूप से दो प्रकार से की जा सकती है–

- आर्थिक व्यवसाय के रूप में।
- सामाजिक अभिशाप के रूप में।

vkfFkd 0;olk; d: i e %& बाल श्रमिक आर्थिक क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार एवं परिवार की आय बढ़ाने का साधन है। भारतवर्ष अन्य देशों की तुलना में निर्धन देश है, जहाँ प्रतिव्यक्ति व प्रति परिवार औसत आय अत्यन्त कम होती है कार्य पर लगाकर आय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। भारत में बच्चों के मजदूरी करने के कारणों में निर्धनता अशिक्षा खेती की निम्न दशा, कुटीर उद्योगों का पतन, उद्योगपतियों की लाभकारी एवं मुनाफाखोरी की मनोवृत्ति तथा अधिनियमों के पालन में शिथिलता आदि प्रमुख है।

lkekftd vfHk'kki d: i e %& आधुनिक समय में बाल श्रम शब्द सामाजिक बुराईयों को दर्शाता है। जहाँ तक सामाजिक बुराई या दोष का सम्बन्ध है वह प्रत्यक्ष रूप से बालक के व्यक्तित्व के विकास से सम्बन्धित है। व्यक्तित्व के विकास न होने के कारण ही समाज व राष्ट्र पर इसके विघटनकारी प्रभाव पड़ते हैं। कहा भी गया है ''विघटित व्यक्तित्व समाज व राष्ट्र के लिए कोढ़ है''।

बालश्रम की समस्या को उन्मूलित करना भी दुष्कर कार्य है। इस चक्रव्यूह का भेदन सहज सम्भव नहीं है। उन्मूलन के प्रयास कभी–कभी विपरीत परिणामों को जन्म देते हैं। निर्धनता को बढ़ाने के साथ ही ये कहीं–कहीं बच्चों की कार्यरत परिस्थितियों को पहले से अधिक खतरनाक भी बना देते हैं अर्थात इस तरह के प्रयास गरीबी को अपना दामन फैलाने में पूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, अमरीका ने 1992 में हार्किन्स बिल के माध्यम से बांग्लादेश के वस्त्र उद्योग पर कुछ आर्थिक प्रतिबन्ध की बात कही थी। इस प्रस्ताव मात्र से ही बांग्लादेश के वस्त्र निर्माताओं ने अपने यहाँ के कामगारों को बिना सोचे समझे उत्पादन की प्रक्रियाओं से विलग करना शुरू कर दिया था क्योंकि इस देश का वस्त्रों का 60 प्रतिशत निर्यात अमेरीका का होता था। इस कार्यवाही के फलस्वरूप कुछ बच्चों ने अपने को पहले से अधिक खतरनाक उत्पादों के कारखानों में काम में लगा लिया तो कुछ बालिक श्रमिकों ने वेश्यावृत्ति जैसे असामाजिक कृत्यों को अपनाने में भी कोई संकोच नहीं किया।

कतिपय विद्वानों का मानना है कि अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से बालश्रम की समस्या आसानी से समाप्त की जा सकती है। जर्मनी, स्वीट्जरलैण्ड आदि यूरोपीय देशों ने शिक्षा के माध्यम से ही बालश्रम की विभीषिका को कम किया है। लेकिन भारत, नेपाल या अन्य विकासशील देशों में जहाँ की अर्थव्यवस्था विकास के प्रारम्भिक दौर से गुजर रहीं है, व्यावहारिकता में ऐसा करना मुश्किल भी है एवं भविष्य में कई समस्याओं के जन्म की आशंका होती है। इन देशों में बाल श्रमिकों की संख्या का विस्तार बहुत अधिक है। भारत में 10 करोड़ से अधिक कार्यरत बच्चों को औपचारिक या अनौपचारिक स्कूलों में भेजने के लिए विपुल साधनों की आवश्यकता होगी। समुचित शैक्षणिक वातावरण हेतु संसाधन जुटाने होंगे और आधारभूत सुविधाएँ, संभार–तन्त्रीय सहयोग प्रदान करने एवं अन्य संसाधन जुटाने मं काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इतने बच्चों का शाला प्रदेश निश्चित करने के लिए लगभग 40 करोड़ रूपये या 12 अरब अमरीकी डॉलर के लगभग धनराशि की जरूरत होगी। इतनी बड़ी राशि का स्रोत सहज स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है।

यदि राज्य किसी भी प्रकार से वित्तीय संसाधन जुटाने में सफल हो जाएँ, तो अगला प्रश्न यह उठता है कि कया सरकारी प्रयासों के आधार पर गरीब माता–पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे अथवा नहीं? यदि सरकार दण्डात्मक कानूनों के द्वारा अभिभावकों एवं बालकों को अनिवार्य शिक्षा के लिए बाध्य करती है तो क्या हमारी शिक्षा प्रणाली इस बात की गारंटी दे सकती है कि बड़े होकर उन्हें योग्यानुसार काम मिल सकेगा? तथा क्या पाठ्यक्रम रूचिकर होगा? बालश्रम के अध्ययन में यह भी ध्यान रखना होगा कि बाल विकास के अवसरों के अलावा अन्य क्या कदम उठाये जाएँ कि बालक अल्पायु में जीविकोपार्जन की ओर न मुड़े।

सामाजिक आर्थिक परिवेश के सन्दर्भ में एक अन्य यह प्रश्न भी विचारणीय है कि क्या इस प्रकार के आर्थिक मूल्यांकन से ही बालकों के सुनहरे भविष्य एवं तद्सम्बन्धी विषय समस्याओं को पूर्णतः वैज्ञानिक आधार पर समझा जा सकता है? बाल श्रमिकों की समस्या क्या मात्र आर्थिक अनिवार्यता है? स्पष्ट है कि बाल श्रमिकों की समस्या अकेले वैधिक तकनीकी आधार पर नहीं अपितु व्यापक समाजशास्त्री आधार पर अध्ययन किया जाए। समाजशास्त्रियों को बालश्रम से सम्बन्धित समस्त पहलूओं पर ध्यान देना ही सर्वोत्तम होगा। बाल श्रमिक कमेटी की रिपोर्ट तथा कतिपय अन्य अध्ययनों में भी इन पहलुओं और मसलों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है तथा बालश्रम समाप्ति को दुष्कर प्रयास माना गया है।

वर्ष 1981 में पेश गुरूपाद स्वामी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि ''जब तक गरीबी रहेगी, तब तक बालश्रम का पूरी तरह उन्मूलन मुश्किल है, इसलिए वैधानिक संसाधनों के जरिये इसे समाप्त करने के सभी प्रयास व्यावहारिक नहीं हो सकते।'' बाल श्रमिकों को लेकर सरकार के रवैये पर आज भी इसी तरह के तर्क हावी नजर आते हैं। कई प्रगतिशील कार्यकर्त्ता और विचारक भी बालश्रम पर सम्पूर्ण प्रतिबंध को लेकर असमंजस में रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक गरीब परिवार के लिए अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय उसे काम पर भेजना ही अधिक व्यावहारिक होता है।

सरकारी महकमों द्वारा दी जाने वाली अनेक दलीलों में से एक यह भी है कि बालश्रम पर पाबंदी लगा देने से अनेक निर्यातों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वयस्क श्रमिकों को उसी काम के लिए ज्यादा मजदूरी देनी पड़ती है। वास्तव में निर्यात के एक छोटे से हिस्से में ही बाल श्रमिकों की मदद ली जाती है। निश्चित ही भारत के आर्थिक विकास की कमान इन नन्हें कामगारों के छोटे–छोटे हाथों में नहीं है। लेकिन इस बात का एक चिंतनीय पहलू यह है कि अकुशल और बाल श्रमिकों को काम देकर कई कम्पनियाँ कामगारों के प्रति अपनी कानूनी जवाबदेहियाँ से किस तरह पल्ला झाड़ लेना चाहती है। चूँकि बालश्रम को समाप्त करने के प्रश्न की प्राथमिकता को आज पूरे विश्व में नैतिक सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से स्वीकार किया जा रहा है अतः प्रश्न यह है कि किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को क्षति पहुँचाएँ बिना बालश्रम का उन्मूलन किस तरह किया जाए? इन्हीं विभिन्न प्रश्नों व समस्याओं के समुचित अध्ययन विश्लेषण व समाधान का प्रस्तुत शोध में एक विनम्र प्रयास है।

cky Je ekuo lH;rk ij ,d dyd

बालश्रम का प्रचलन आधुनिक मानव समाज एवं सभ्यता पर कलंक है, जिसे आज तक साफ नहीं किया जा सका, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो आँकड़ें समय–समय पर जारी किए जाते हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि बाल श्रमिकों की संख्या निरन्तर सारी दुनिया में बढ़ रही है तथा इस समय लगभग 30 करोड़ बाल श्रमिक सारी दुनिया में कार्यरत है तथापि श्रमिकों की अथवा अंशकालिक बाल–श्रमिकों की पूरी संख्या का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है।

बाल श्रमिक विश्व के सभी देशों में मौजूद है, जिनमें अत्यन्त गरीब से लेकर सबसे सम्पन्न देश अमेरिका तक शामिल है। अमेरिका की सरकार ने यह घोषणा की थी कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों से वह उन उद्योगों में निर्मित सामान आयात नहीं करेगी, जिनमें बाल श्रमिक कार्यरत है जबकि वस्तुस्थिति यह है कि स्वयं न्यूयार्क में लगभग डेढ़ लाख बच्चे वस्त्र उद्योग में कार्यरत है। दुनिया के अन्य देशों में यही स्थिति है। भारत जो सबसे बड़ा विकासशील देश है, में भी एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग ढ़ाई करोड़ बाल श्रमिक विभिन्न उद्योगों में लगे हैं और उनकी संख्या निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। जबकि उसके उन्मूलन के लिए बाकायदा कानून तथा विभिन्न श्रम एवं समाजसेवी संगठन व संस्थाएँ बाल–श्रम के उन्मूलन के लिए कार्यरत है। भारत में अधिकांश बाल श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है। जहाँ मजदूरी अत्यन्त कम है और उपलब्धता सहज है। यहाँ तक कि दो समय की रोजी–रोटी पर भी बाल श्रमिक उपलब्ध है।

यद्यपि सारे विश्व में यह आम सहमति है तथा विभिन्न देशों की सरकारों ने बाल श्रम के अभिशाप को समाप्त करने के उद्देश्य से अनेक कानून भी बनाये हैं। परन्तु उसके बाद भी दुनियाँ में बाल श्रमिकों की संख्या निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। जिससे स्पष्ट है कि यह समस्या इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि जिसका इलाज महज कानून बनाकर नहीं किया जा सकता। यह एक सर्वमान्य निष्कर्ष है कि बाल मजदूरी गरीबी की वजह से पैदा होती है और गरीबी समाप्त करके ही इस अभिशाप को समाप्त किया जा सकता है। जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि मंहगाई में निरन्तर वृद्धि तथा बढ़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तथा छोटे किसान परिवार मुख्य रूप से जिम्मेदार है। संगठित क्षेत्र में मिल बन्दी तथा आधुनिकीकरण बड़ी संख्या में कारखानों के बन्द होने से बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण ऐसे बेरोजगार मजदूरों के परिवारों के बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी खेती लाभप्रद न रहने के कारण तथा वहां रोजगार के अन्य वैकल्पिक स्रोत न होने के कारण शहरों की और पलायन करने वाले परिवारों के बच्चे शहर में परिवार का भरण–पोषण करने हेतु श्रम करने से मजबूर है। जनसंख्या में हो रही सतत् वृद्धि, विशेष रूप से निम्न एवं निम्न मध्यवर्गीय परिवारों में सदस्यों को अधिक संख्या के कारण इन परिवारों के बच्चे भी इसलिए बाल श्रमिक के रूप में कार्य करने को मजबूर है क्योंकि उनके परिवारों के मुखिया की सीमित आय परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह भी गौरतलब है कि श्रमिकों की आय में गत वर्षों में हुई वृद्धि मंहगाई में हुई वृद्धि की तुलना में काफी कम है, जिसके संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की क्रय शक्ति का काफी ह्रास हुआ है और एक व्यक्ति की आय के परिवार का गुजारा सम्भव नहीं रह गया है।

बहुत से उद्योगों में श्रम कानूनों से बचने के लिए उद्योगपतियों द्वारा ज्यादा से ज्यादा काम ठेकेदारों के माध्यम से कराने की परम्परा भी बाल श्रमिकों की निरन्तर बढ़ती संख्या का एक प्रमुख कारण है। ऐसे ठेकेदार कम से कम पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक कार्य करवाकर अपनी आय बढ़ाने की नीयत से बाल श्रमिकों को नियोजित करते हैं, जो कि इन्हें उत्यन्त सस्ते पारिश्रमिक पर उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही ऐसे बाल श्रमिकों के लिए श्रम कानूनों को लागू करने की बाध्यता भी नियोक्ता पर नहीं रहती है इन बाल श्रमिकों द्वारा अपना संगठन बनाकर शोषण का प्रतिवाद करने की सम्भावना भी नहीं रहती। बीड़ी उद्योग एवं कालीन उद्योग में मुख्य रूप से बाल श्रमिकों की अधिक संख्या होने का एक मुख्य कारक है।

यद्यपि बाल–श्रम समाज के ऊपर एक कलंक है तथा देश एवं समाज के विकास पर इसका दूरभागी दुष्प्रभाव पड़ता है तथा आधुनिक समाज में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, परन्तु चिन्ता की बात यह है कि बाल श्रमिक प्रथा का उन्मूलन तो दूर की बात है, बाल श्रमिकों को एक सम्मानजनक मानवीय जीवन, उचित पारिश्रमिक तथा विभिन्न श्रम कानूनों का संरक्षण भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बाल श्रमिकों को अत्यन्त ही मानवीय पारिस्थितियों में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इन बाल श्रमिकों के लिए विभिन्न श्रम कानूनों जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम आदि का कोई अर्थ एवं उपयोगिता नहीं है। इन बाल श्रमिकों का न तो कोई तीज त्यौहार है न कोई अवकाश और यहाँ तक कि बीमारी की दशा में भी काम करते रहने की बाध्यता है। शिक्षा प्राप्त करना तथा खेल–कूद में भाग लेना बाल श्रमिकों के लिए महज एक सपना है। एक सोचनीय स्थिति तब है जब हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रारम्भ से ही इस गम्भीर विषय पर चिन्तन कर बालकों के भविष्य के प्रति अनेकों उपाय तथा व्यवस्थाएँ संविधान में की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के कारखानों तथा साधनों में कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। अनुच्छेद–39 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि ऐसी नीति बनाए, जिससे बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो सके और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। उक्त नीति निर्देशक सिद्धान्त को पर्याप्त व प्रभावशाली न पाते हुए पुनः ऐतिहासिक 42 वें संविधान के द्वारा अनुच्छेद–39 (च) जोड़कर राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि वें बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण के स्वस्थ विकास के अवसर व सुविधाएँ प्रदान करने की व्यवस्था करें और बालकों एवं अल्प व्यय व्यक्तियों की शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करें।

fu"d"k

बाल श्रमिक समस्या, एक भयावह सामाजिक बीमारी है जो कि दिन–प्रतिदिन विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में बड़ी तीव्र गति से असामान्य रूप से बढ़ती जा रही है। औद्यौगिक क्रान्ति के प्रारम्भ होने के साथ ही बाल श्रमिक प्रत्येक राष्ट्र में अनेक सा., आर्थिक दुर्दशाओं में अपना जीवनयापन कर रहे हैं। उन्हें अपनी छोटी–सी आयु में ही अनुपयुक्त वातावरण में कार्य करना पड़ता है। भारत में भी बच्चे अनेक औद्योगिक क्षेत्रों में अनुपयुक्त गन्दी बस्तियों, कम प्रकाश एवं गन्दे वातावरण में मजबूरन व्यवहार किया जाता है तथा उनकी कोमल आयु का अनुचित रूप में मनचाहे तरीके से उपयोग किया जाता है। बाल श्रमिक परिवार निर्धन होते हैं जो अपने बच्चों को कार्य करने की अनुमति दे देते हैं एवं जबरन उन्हें कार्य कर भेजते हैं, क्योंकि वे बाल श्रमिक द्वारा अर्जित अतिरिक्त आय के बगैर अपनी अनिवार्य आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं कर पाते।

हांलाकि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्राप्ति हेतु संविधान में बच्चों के शोषण के खिलाफ विशेष प्रावधान किए गए हैं। बाल मजदूरी एवं बच्चों के नैसर्गिक अधिकारों के शोषण के खिलाफ न्यायपालिका ने भी महत्त्वपूर्ण एवं विकासशील भूमिका का निर्वाह कर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व उनके कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार की आवश्यकता प्रतिपादित की है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इन कानूनों, प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए, साथ ही नियोक्ता वर्ग को भी बीमा, अंशकालीन शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुधार आदि पर

विशेष ध्यान देना होगा। इसी प्रकार बाल कल्याण हेतु स्वैच्छिक संस्थानों की भूमिका सर्वविदित है जिसे कार्य हेतु आगे आना होगा। इस प्रकार बाल श्रमिक समस्या एक ऐसी भयावह सामाजिक समस्या है जिस पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज–वैज्ञानिकों, अध्येयताओं, समाजशास्त्रियों आदि द्वारा बहुत से अध्ययन किए गए हैं ताकि इन अध्ययनों द्वारा प्रत्येक तक इस विषय में जानकारी पहुँच सके।

lUnHkZ xzUFk lwph

- कुल श्रेष्ठ, जे.सी., 1978 : चाईल्ड लेबर इन इण्डिया, आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
- आहूजा, राम, 1997 : सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
- सिंधी नरेन्द्र कुमार, गोस्वामी वसुधाकर, 1994 : समाजशास्त्र विवेचन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
- सक्सेना, आर.सी., 1962 : श्रम समस्याएँ एवं समाजकल्याण, मेरठ : जयप्रकाश नाथ एण्ड कम्पनी
- शर्मा, अलख नारायण, 1948 : चाइल्ड लेबर इन पटना, शान्ति पब्लिषेस, पटना
- खाटू, के.के., 1983 : वर्किंग चिल्ड्रन इन इंडिया बरोड़ा, ऑपरेषन रिसर्च ग्रुप
- तिवारी, अष्विनी कुमार, 2005 : चाइल्ड लेबर, नेषनल हूमन राइट्स कमिषन इंडिया, नई दिल्ली
- रहमान, एम.एम., 2002 : चाइल्ड लेबर एण्ड चाइल्ड राइट्स, महक पब्लिषर्स, दिल्ली
- गिरी, वी. वी., 1992 : चाइल्ड लेबर इन द जैम पॉलिशिग इण्डस्ट्री इन जयपुर राष्ट्रीय श्रम संस्थान।.

♦❒♦